

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अनुमति/2023/

दिनांक :-

-: आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के बैच से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

क्र.स.	कार्मिका का नाम	पद	पद स्थापन स्थान	अध्ययन का सत्र
1	अमिता	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
2	सिलोचना	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भादरा हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
3	प्रियका	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिब्बी हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
4	श्रीमती विजय कुमारी	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
5	श्रीमती मैना	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
6	श्रीमती अमनदीप कौर	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलाबंगा हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2021-22
7	समेस्ता देवी	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
8	शर्मिला	एएनएम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावतसर हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2021-22

शर्तों:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. परीक्षा कोर्स में उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय भार की मांग नहीं करेंगे।
4. परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
6. नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
7. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
8. उक्त कार्मिक यदि संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
9. उक्त में से जिन कार्मिकाओं का चयन विभागीय कोटे (Inservice) में नहीं हुआ है उन्हें नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 01.03.2023

क्रमांक:- ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अनुमति/2023/132

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को सूचनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर ई-मेल करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर